BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 366/2025

IN THE MATTER OF:-

IN THE MATTER OF:
Ray Singh ...Applicant

Versus

M/s. Utara Brick Field
Through Proprietor & Ors. ...Respondent(s)

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-5
2.	**ANNEXURE-R3/1** True copy of the inspection report dated 15.07.2025	6-7
3.	**ANNEXURE- R3/2** True copy of the notice dated 16.07.2025	8
4.	**ANNEXURE- R3/3** True copy of the closure order dated 11.02.2023	9
5	**ANNEXURE- R3/4** True copy of the inspection report dated 29.07.2025	10-11
6	**ANNEXURE- R3/5** True copy of the notice dated 29.07.2025	12-13
7	**ANNEXURE- R3/6** True copy of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules.2012	14-18

NEW DELHI
DATED: 25.10.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 366/2025

NOTARY
GULAB RAI
C.C. COURT
Regd.
Govt. of India
NOTARIAL
25/10/25
684

IN THE MATTER OF:
Ray Singh **...Applicant**

Versus

M/s. Utara Brick Field
Through Proprietor & Ors. **...Respondent(s)**

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr Vishwanath Sharma, aged about 48 years S/o Late Dr Manoranjan Sharma, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Aligarh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That the applicant has raised the grievance that the Respondent No. 1, brick kiln is operating in Village Gangsara, P.S. Sidhpura, District Kasganj, Uttar Pradesh in violation of the environmental norms near a school.

3. That the present Original Application following prayers have been made:

a. Pass an appropriate direction against the respondent no. 1 to close the brick klin running in the abovesaid address immediately.

b. Direct the respondent no. 2 to 4 to immediately visited the respondent no. 1 brick klin and seal the brick klin if the same is running without obtaining CTO/permission.

c. Also Direct the concerned authorities/respondent no. 4 to confiscate the bricks and other material lying in the respondent no. 1 brick klin.

d. Also pass the appropriate orders to cease and desist from causing further environmental damage and award the compensation to the affected residents for the damage caused by the air pollution and environmental degradation.

NOTARY
GULAB RAI
C.C.Court Ajmer
Regd. No-277
Govt. of India

25/11/2025

4. That the present matter was taken up by this Hon'ble Tribunal on 24.07.2025 when this Hon'ble Tribunal was pleased to implead the answering respondent with direction to file reply by passing the following direction:

> "...7. *Let Notice be issued to the other respondents. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.*
>
> *8. Respondents are directed to file their reply by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing...*"

5. That it is pertinent to mention here that in pursuance of the complaint received vide IMS Reference No.-308594781 dated 02.07.2025, the officials of the UPPCB have undertaken the site visit and carried out an inspection of brick kiln in question on 15.07.2025 in the presence of the authorized representative, i.e. Munim, of the brick kiln in question.

A true copy of the inspection report dated 15.07.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/1**.

6. That during the inspection it is found that the questioned brick kiln is established and operated without having Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from UPPCB and also in violation of The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules,2012, wherefore the UPPCB has issued a notice to the brick kiln in question vide letter no.-744/IMS/2025 dated 16.07.2025.
A true copy of the notice dated 16.07.2025is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/2**.

7. That it is also worthwhile to mention here that the UPPCB has already issued a closure order dated 11.02.2023 vide letter no.-H88999/C-4/Sa-II-758/Bandi/2023 and during the inspection dated 15.07.2025 the questioned brick kiln was found closed due to off season.

A true copy of the closure order dated 11.02.2023 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/3.**

8. That further in compliance of the direction passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 24.07.2025, the officials of the UPPCB have undertaken the site visit and carried out the inspection of brick kiln in question on 29.07.2025 also.

A true copy of the inspection report dated 29.07.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/4.**

9. That in pursuance of the above inspection a letter has been issued by the UPPCB to the brick kiln in question on 29.07.2025 vide letter no.-812/EU-17/2025 against illegal mining from agricultural land and for operation of brick kiln without having valid consent to operate from the UPPCB, forwarding the said letter also to the concerned authorities.

NOTARY GULAB RAI C.C.Court,Aligarh Regd. No. 2712 Govt. of India

A true copy of the notice dated 29.07.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R3/5.**

10. That in the North-East side of the questioned brick kiln the village Bheekapur is situated at a distance of about 830 meters and thereafter on about 890 meters distance there is Primary School Bheekpur. In Southern-Western side of the brick kiln there is a village Gangasara at about 290 meters distance. On the Southern-Eastern side of the questioned

brick kiln there is a Mango Orchid situated at about 850 meters. In Southern side there is also a Mango Orchid at a distance of about 1.09 kms.

True copy of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 is being enclosed herewith and marked as **Annexure R3/6.**

The above reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

NOTARY GULAB RAI C.C. Court Aligarh Regd. No-2772 Govt. of India

VERIFICATION

Verified at .Aligarh on this the 25th..... day of October, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

S.No 684 Date 25/10 Time 11
Solemnly affirmed Before me.....
Affidavit by Shri.....
Identified by Shri.....
Who has been ... the contains there and have been ... the same to be correct
place

25/10/2025

GULAB RAI
(Notary Govt. of India)
(Notary) G.O.I., Aligarh
Regd. No. 2772

DEPONENT

Annexure R3/1

संलग्नक – 2

आई०एम०एस० सन्दर्भ संख्या–308594781 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से मै० उत्तरा ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.597722 एवं देशान्तर–78.880686), गाटा संख्या–119/1.356, गंगसारा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शिकायत आई०एम०एस० सन्दर्भ संख्या–308594781 दिनांक 02.07.2025 के सन्दर्भ में आपके आदेशानुसार उक्त शिकायती ईंट भट्ठा मै० उत्तरा ब्रिक फील्ड, गाटा संख्या–119/1.356, गंगसारा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 15.07.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री यशपाल सिंह (मुनीम) मो.नं.–9529277461 उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग तकनीकी पद्धति पर स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा ऑफ सीजन होने कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय खींचे गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

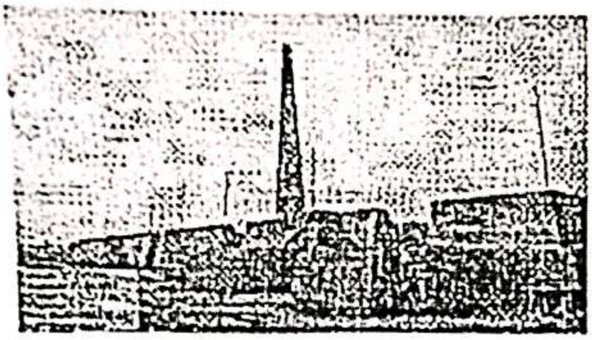

2. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय ईंधन के दहन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर प्लेटफार्म स्थापित पाया गया किन्तु सीढ़ी, पोर्टहॉल स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईंट भट्ठे का जी.एस.टी. संख्या–09DEPPG9938R1Z5 दिनांक 01.02.2021 है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे द्वारा प्रथमबार सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 14.11.2022 को ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसको को कार्यालय के ऑनलाइन पत्र संख्या–168283 दिनांक 27.11.2022 के माध्यम से वांछित सूचनाओं के आभाव में अस्वीकृत कर दिया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को सहमति (जल/वायु) प्राप्त न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या– एच88999/सी–4/सा–II–758/बन्दी/2023 दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। जारी बन्दी आदेश में उल्लेख किया गया है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा में प्राविधानित है कि :–

---21. Restrications on use of certain industrial plants :-

(1) Subjuect to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area : Provided that a person operating any industrial plant.........

8. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा पुनः सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु दि. 08.05.2025 को ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसको कार्यालय के ऑनलाइन पत्र संख्या-24.. दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से वांछित सूचनाओं के अभाव में अस्वीकृत कर दिया गया।

9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के उत्तर-पूरब दिशा में लगभग-830 मीटर दूरी पर ग्राम-मीकपुरा तथा उसी दिशा में लगभग-890 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है, दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग-200 मीटर दूरी पर ग्राम-गंगसारा स्थित है तथा गूगल अर्थ हिस्ट्री टाइम सेटेलाइट से देखने पर ईंट भट्ठा जनवरी-2017 में प्रदर्शित हो रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि ईंट भट्ठा, जून 2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।

10. शिकायतकर्ता द्वारा ईंट भट्ठे के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में शिकायती पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर-0999227315 पर वार्ता की गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा खेत ईंट भट्ठे के पास है। मेरे खेत के समीप मिट्टी खनन कर कच्ची ईंट पथाई का कार्य किया गया है, जिससे मेरा खेत की फसल का नुकसान हो रहा है तथा ईंट भट्ठे के पास स्कूल भी है, जिससे बच्चों की पढाई लिखाई में परेशानी हो रही है। ईंट भट्ठा माह जून तक चलाया गया है।

11. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन 10 अप्रैल से किया गया था। ईंट भट्ठे को 25 जून को बन्द कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे पर उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 10.04.2025 से किया गया है। अतः ईंट भट्ठे को दिनांक 10.04.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक कुल 77 डिफाल्टर दिवस मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से कुल 77 दिवस हेतु रू0 6,250x77=4,81,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37ए के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

16/07/25
(मनदीप)
अवर अभियन्ता

सहायक पर्यावरण अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

16/07/25

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे–1, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड़, अलीगढ़–202001

पत्रांक– 744/IMS/2025

दिनांक–16-7-25

सेवा मे

मै0 उत्तरा ब्रिक फील्ड,
गाटा संख्या–119/1.356, गंगसारा,
तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज

विषयः– आई0एम0एस0 सन्दर्भ संख्या–308594781 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध आई0एम0एस0 सन्दर्भ संख्या–308594781 दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि– *"मेरा खेत ईंट भट्ठे के पास है। उपरोक्त ईंट भट्ठा के मानकों का उल्लंघन करके बनाया गया है, जो कि एक अपराध है। उपरोक्त भट्ठा गांव के पास होने की वजह से आस–पास के रहने वाले लोगों और उनके बच्चो की सेहत पर बुरा प्रभाव पढ़ रहा है स्कूल के पास भट्टा होने की वजह से बच्चो की सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, सड़क के नजदीक भट्ठा होने की वजह से बच्चों व बड़ों की जान को खतरा बना रहता है। उपरोक्त भट्ठा मालिक कृषि भूमि का खनन करके ईंट बनाता है, जिससे किसानों की फसले बुरी तरह प्रभावित हो रही है"।* तत्क्रम में आपके ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.07.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 10.04.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक किया गया था।

अवगत हो कि आपके ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच68999/सी–4/सा–II–758/बन्दी/2023 दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि किन कारणों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश प्रभावी होने के बावजूद तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध सहमति प्राप्त किये बिना ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 10.04.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक किये जाने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि उक्त के सन्दर्भ में आपको कुछ नही कहना है, के दृष्टिगत आपके ईंट भट्ठे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी की गयी मार्गदर्शिका के अनुसार रू0–6,250/– के हिसाब से दिनांक 10.04.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईंट भट्ठा एवं उसके उत्तरदायी प्राधिकारी का होगा।

भवदीय,

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure R3/3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक संख्या–1188999 / सी–4 / सा– 11–758 / बन्दी / 2023 दिनांक–11.02.2023

मै0 उत्तरा ब्रिक फील्ड, ग्राम गंगसारा, तहसील पटियाली, जनपद–कासगंज

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित हैं, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

*........ **21. Restrictions on use of certain industrial plants.—***
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

भवदीय,

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कासगंज।
3. जिला खनन अधिकारी, कासगंज।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति प्राप्त कराकर उक्त का अनुपालन 03 दिन में कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए सतत् अनुश्रवण रखें।

प्रभारी, वृत्त–4

जाने संख्या-240038 दिनां.

उत्तरा ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.597711 एवं देशान्तर–78.880676), ग्राम–गाटा संख्या–119/1, गंगसारा, धूमरी रोड, परगना–सिढ़पुरा, तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.07.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मुन्नालाल गुप्ता (चौकीदार, मोबाइल–9639593349) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1 निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाईड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

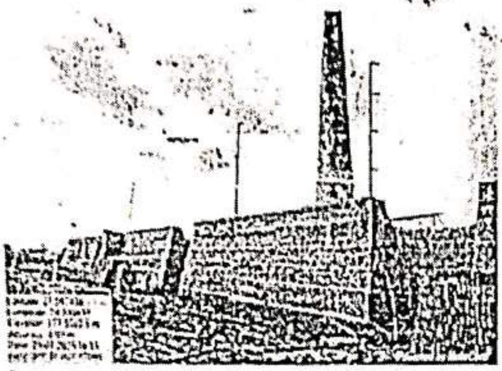

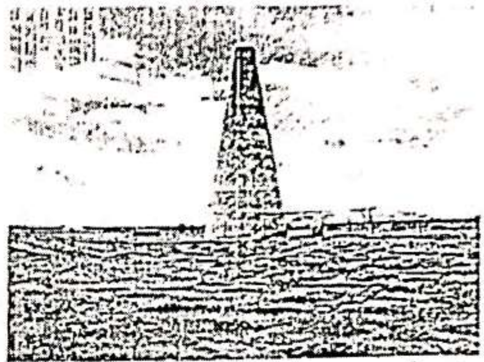

2. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।

3. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3 टन/दिन किया जाता है। ईंधन के दहन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।

4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर प्लेटफार्म, सीढी, पोर्टहॉल स्थापित नहीं पाये गये।

5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये स्थापित एवं बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किया गया है।

6. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा प्रथम बार सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदन दिनांक 22.10.2022 को किया गया था। उक्त आवेदन पत्र को वांछित सूचना/प्रपत्र के अभाव में कार्यालय के आनलाइन सन्दर्भ संख्या–168283 दिनांक 27.11.2022 के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया था।

7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच88999/सी–4/सा–II–758/बन्दी/2023 दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

8. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा पुनः सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदन किया गया, जिसको वांछित सूचना/प्रपत्र के अभाव में कार्यालय के आनलाइन सन्दर्भ संख्या–240038 दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया था।

9. रियल टाईम गूगल सेटेलाइट इमेज के अनुसार ईंट भट्ठा वर्ष 2014 में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जबकि ईंट भट्ठा वर्ष 2017 में प्रदर्शित हो रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष 2012 के उपरान्त की गयी है।

10. वर्तमान में ईंट भट्ठे की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग–500 मीटर की दूरी पर आम का, स्थित है, उत्तर–पूरब दिशा में लगभग–820 मीटर की दूरी पर ग्राम–भीगपुरा स्थित, दक्षिण–पूश्चिम दिशा में लगभग–300 मीटर की दूरी पर ग्राम–गंगसारा स्थित है। ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 के अनुरूप नहीं है।

11. निरीक्षण दिनांक 29.07.2025 के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन वर्ष 2024–2025 में किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सन्दीप)
अवर अभियन्ता

(स्नेहलता)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जे-1, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001

पत्रांक- 912/EU-17/2025 दिनांक- 29.07.2025

सेवा में,

मै0 उत्तरा ब्रिक फील्ड,
गाटा संख्या-119/1, ग्राम-गंगसारा, धूमरी रोड, परगना-सिढ़पुरा,
तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज ।

विषयः-कृषि भूमि का अवैध खनन व कृषि भूमि पर अवैध भट्ठा चलाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करें। आप अवगत हैं कि आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच88999/सी-4/सा-II-758/बन्दी/2023 दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है। आपके ईट भट्ठे मै0 उत्तरा ब्रिक फील्ड, ग्राम-गाटा संख्या-119/1, गंगसारा, धूमरी रोड, परगना-सिढ़पुरा, तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज के विरूद्ध श्री राय सिंह द्वारा कार्यालय में प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में ईंट भट्ठे का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 29.07.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय स्थल पर ईंट भट्ठे की स्थापना के सम्बन्ध में गूगल अर्थ पर रियल टाईम गूगल सेटेलाइट इमेज के अनुसार आप द्वारा ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष 2017 में किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष 2012 के उपरान्त की गयी है।

दिनांक 29.07.2025 को किये गये निरीक्षण में आपके ईंट भट्ठे की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग-500 मीटर की दूरी पर आम का बाग स्थित है, उत्तर-पूरब दिशा में लगभग-820 मीटर की दूरी पर ग्राम-भीगपुरा स्थित है, दक्षिण-पूश्चिम दिशा में लगभग-300 मीटर की दूरी पर ग्राम-गंगसारा स्थित है, जोकि उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 के अनुरूप नहीं है। उपस्थित प्रतिनिधि श्री मुन्नालाल गुप्ता (चौकीदार) मोबाइल-9639593349 द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा वर्ष 2024-25 में ईंट भट्ठे का संचालन किया गया है, जोकि बन्दी आदेश एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा जानबूझकर उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश प्रभावी होने के दृष्टिगत भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन न किया जाये। संचालन किये जाने की स्थिति में आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

55

अधिनियम, 1981 की धारा-37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप/ईंट भट्ठा एवं उसके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील-पटियाली, जनपद-कासगंज को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या- एच28297/सी-6/सा-207/नोडल ईंट भट्ठा/2024-25 दिनांक 16.05.2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कासगंज को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच28297/ सी-6/सा-207/नोडल ईंट भट्ठा/2024-25 दिनांक 16.05.2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. जिला खान अधिकारी, जनपद-कासगंज को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच28297/सी-6 /सा-207/नोडल ईंट भट्ठा/2024-25 दिनांक 16.05.2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. श्री राम सिंह पुत्र श्री परशुराम, निवासी-लोंगपुर, थाना-सिढ़पुरा, जनपद-कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure R3/6

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्याः 921 /55–पर्या / 12–94(पर्या) / 11
लखनऊ, दिनांक 27 ~~अप्रैल~~ जून, 2012

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र / जनसंख्या / संवेदनशील क्षेत्र / आम अथवा फलदार बागों से दूरी 2. उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है :–

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगां, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण किया

जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भटठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) क्षेत्र के मामले में समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे–

(तीन) कोई ईंट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईंट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पॉच) कोई ईंट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छ:) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईंट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' में कोई ईंट भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नही दी ज़ानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हो) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठा से दूरियाँ प्रत्येक दिशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति

3. ईट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध मे अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्सर्जन मानक

4. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा ईट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस आर 543(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

ईट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ

5. इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्ठे में ईधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:–

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे–पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पथाई में फ्लाई एश :

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेन्ट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा का ईट भट्ठा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ईट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्तव्य

6. (1) ईट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है।

(2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार

तड़ित अवरोधक ईंट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईंट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईंटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईंट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईंटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाय अपितु ढालवार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि–भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7. कोई व्यक्ति जो कि ईंट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईंट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद् से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि, कोई ईंट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग
संख्या–921/55–पर्या/12–94(पर्या)/11
लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2012

दिनांक 27 जून, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सदस्य–सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे आगामी गजट अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वेब मास्टर/वेब अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
उप सचिव।